विश्व मामलों की भारतीय परिषद

01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I.प्रारंभिक शेष			I. व्यय		
(क) नकद रोकड़	-	6,573	(क) संस्थापना व्यय		
			वेतन, पी एफ आदि	1,23,62,284	1,27,83,857
(ख) बैंक में जमाराशि			बोनस	91,531	96,712
भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता	1,05,52,525	8,51,496	उपदान व्यय	14,59,076	14,50,046
भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता	79,49,957	1,92,19,079	पेंशन फंड में परिषद का अंशदान	3,48,907	2,61,930
			स्टाफ कल्याण व्यय	-	602
(ग) अन्य			प्रशासनिक निरीक्षण प्रभार - आरपीएफसी	14,426	14,908
अग्रदाय खाता	5,000	5,000	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	13,43,589	8,42,042
प्रेषक के पास डाक टिकट	3,454	4,406	कर्मचारियों का सामूहिक बीमा	1,01,152	44,378
चेक इन हैंड	-	10	एल टी सी व्यय	2,38,530	-
			छुट्टी नकदीकरण (एल टी सी)	48,251	-
II. अनुदान			(ख) प्रशासनिक व्यय		
एमईए से अनुदान - सामान्य	9,98,00,000	8,51,00,000	विज्ञापन व्यय	56,856	85,657
एमईए से अनुदान - वेतन	1,52,00,000	1,54,00,000	लेखापरीक्षा शुल्क	1,76,915	2,90,060
एमईए से अनुदान - सीएससीएपी बैठकें	47,27,237	15,94,711	अन्य व्यय	14,787	3,56,337
एमईए से अनुदान - सेमिनार	-	5,17,827	प्रकाशन की लागत	17,59,637	18,06,180
			सीएससीएपी सामान्य व्यय	1,312	-
III. आय			विद्युत एवं जल प्रभार	46,58,970	41,19,129
पुस्तकालय की सदस्यता	73,900	40,400	कार्यालय बीमा व्यय	70,642	69,325
विविध आय	88,804	4,22,532	बैठक एवं सेमिनार व्यय	1,02,83,749	84,61,364
रायल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	88,352	6,22,210	एनडीएमसी गृह कर	31,94,738	41,34,695
बचत खाते से अर्जित ब्याज	10,99,625	9,99,377	कार्यालय व्यय	7,87,382	7,49,751
			टिकट एवं टेलीग्राम	72,245	36,087
IV. अन्य प्राप्तियां			व्यावसायिक प्रभार	2,30,02,047	1,71,73,566
प्रतिभूति जमा - पुस्तकालय	19,900	36,700	प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी व्यय	9,24,481	3,90,085
अग्रिम धनराशि	10,000	-	मरम्मत एवं रख-रखाव	40,65,805	38,97,140
अन्य अग्रिम प्राप्तियां	24,356	15,328	सुरक्षा व्यय	12,36,627	9,41,568
रद्द चैक	3,840	7,13,392	टेलीफोन एवं इंटरनेट व्यय	9,17,446	7,78,305
अप्रयुक्त अनुदान/भुगतान की वसूली	2,50,000	-	यात्रा एवं वाहन	25,68,689	36,68,790
लंदन में सामरिक अध्ययन के लिए इंटर्न. इंस्ट.	-	43,506	वेबसाइट व्यय	-	3,50,349
अध्ययन के लिए इंटर्न. इंस्ट.	36,628	-	समाचार पत्र, पुस्तक एवं पत्र पत्रिका	4,61,511	2,29,281
			ग्राहक शुल्क एवं सदस्यता व्यय	1,75,924	1,62,094
कुल अग्रनीत	13,99,33,578	12,55,92,547	कुल अग्रनीत	7,04,37,509	6,31,94,238

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाकार	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल अग्रनीत	13,99,33,578	12,55,92,547	कुल अग्रनीत	7,04,37,509	6,31,94,238
			II. अचल परिसंपत्तियों के लिए भुगतान		
			कंप्यूटर / उपसाधन	8,94,099	2,03,777
			फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स	4,14,237	4,87,716
			पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	45,51,450	36,05,334
			कार्यालय उपस्कर	4,61,612	3,94,573
			ऑडिटोरियम का भवन	-	99,327
			III. प्रतिभूति निक्षेप/ऋणों का प्रतिदाय		
			प्रतिभूति जमा वापसी-पुस्तकालय	5,600	11,200
			IV. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
			के.लो.नि.वि. को भुगतान	3,17,48,211	2,76,72,000
			प्रतिभूति जमा - एमटीएनएल	500	500
			परियोजना का उपयोग	34,19,763	21,54,379
			पुस्तकालय के जीर्णोद्धार के संबंध में पूंजी कार्य प्रगति पर है	7,73,583	-
			आईसीएसएसआर अनुदान का उपयोग	-	10,493
			अप्रयुक्त परियोजना अनुदान की वापसी	14,66,839	47,79,490
			अनुसंधान/सेमिनार हेतु अनुदान	27,83,172	30,17,686
			अन्य अग्रिम	3,44,288	14,32,918
			कर्मचारियों को त्योहार का अग्रिम भुगतान	5,163	11,980
			रद्द चेकों के विरुद्ध भुगतान	1,13,162	6,000
			V. : इतिशेष		
			(क) नकद रोकड़	-	-
			(ख) बैंक में जमाराशि		
			भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता	17,50,032	1,05,52,525
			भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता	2,07,50,157	79,49,957
			(ग) अन्य		
			अग्रदाय खाता	5,000	5,000
			प्रेषक के पास डाक टिकटें	9,202	3,454
कुल	13,99,33,578	12,55,92,547	कुल	13,99,33,578	12,55,92,547

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/05/2016

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाकार	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद (3)

31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
संग्रह/पूंजी निधि एवं देनदारियां			
संग्रह/पूंजी निधि	1	1,53,70,538	1,40,93,359
निर्धारित/अक्षय निधि	2	3,10,093	4,69,458
आस्थगित आय	3	13,04,89,270	13,47,32,811
वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान	4	6,85,78,154	4,16,55,313
कुल		**21,47,48,055**	**19,09,50,941**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	5	13,15,02,640	13,58,03,681
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	6	8,32,45,415	5,51,47,260
कुल		**21,47,48,055**	**19,09,50,941**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	12		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	13		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/05/2016

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाकार	**सहायक निदेशक, वित्त**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
केन्द्रीय सरकार से अनुदान (अनुसूची 4,4 बी देखिए)		7,08,96,595	7,31,03,978
सदस्यता फास	7	57,898	38,042
रायल्टा, प्रकाशना आदि स आय	8	88,352	6,22,210
शेड्यूल्ड बैंक में बचत खाते से अर्जित ब्याज		10,99,625	9,99,377
अन्य आय	9	1,38,90,750	1,46,84,030
कुल (क)		**8,60,33,220**	**8,94,47,637**
व्यय			
स्थापना व्यय	10	1,54,43,336	1,46,21,867
अन्य प्रशासनिक व्यय	11	5,22,48,525	5,30,13,445
अनुसंधान/सेमिनार हेतु अनुदान पर व्यय		18,01,384	37,84,474
प्रकाशनों की लागत		15,45,625	19,84,192
मूल्य ह्रास (देखिए अनुसूची 5)		1,37,17,171	1,43,22,735
कुल (ख)		**8,47,56,041**	**8,77,26,713**
शेष अधिक होने के कारण/(कमी) (क-ख)		12,77,179	17,20,924
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	12		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	13		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/05/2016

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखाकार	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2016 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 1- संग्रह/पूंजी निधि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष		1,40,93,359		1,23,72,435
जोड़िए: संग्रह/पूंजी निधि में अंशदान	–		–	
जोड़िए: आय और व्यय लेख से अंतरित शुद्ध/व्यय का अतिशेष	12,77,179		17,20,924	
		12,77,179		17,20,924
वर्ष के अंत में अतिशेष		**1,53,70,538**		**1,40,93,359**

अनुसूची 2- निर्धारित/अक्षय निधियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) **निधियों का प्रारंभिक अतिशेष**	4,69,458	53,01,282
ख) **निधियों में परिवर्धन:**		
दान/चंदा/वापसी/स्थानांतरण	47,27,237	15,94,711
निधियों के मद्देनजर किए गए निवेशों से आय	–	–
ग) **निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपभोग/व्यय**		
i. पूंजी व्य य		
- अचल परिसंपत्तियां	–	–
- अन्य	–	–
ii. राजस्व व्यय		
- वेतन, मजदूरियां और भत्ते आदि	–	–
- अन्य	–	
- अन्य - यात्रा एवं अन्य व्यय	34,19,763	16,36,552
iii. अप्रयुक्त अनुदानों का प्रतिदाय / अंतर्लेखे का समायोजन	14,66,839	47,89,983
वर्ष के अंत में शुद्ध अतिशेष (क+ख+ग)	**3,10,093**	**4,69,458**

अनुसूची 3- आस्थगित आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक अतिशेष	13,47,32,811	13,75,56,964
जोड़िए: अवक्षयणीय नियत आस्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित अनुदान (शुद्ध)	95,58,312	1,14,37,345
घटाइए: ऐसी आस्तियों पर प्रभारित अवक्षयण के बराबर रकम जो आय और व्यय लेखे में अंतरित कर दी गई है।	1,38,01,853	1,42,61,498
कुल	13,04,89,270	13,47,32,811

लेखाकार सहायक निदेशक, वित्त उप महानिदेशक महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2016 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 4– वर्तमान देनदारिया और प्रावधान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान देनदारियां				
1) विविध लेनदार		10,20,999		72,65,662
2) प्राप्त किया गया अग्रिम		35,316		19,314
3) सांविधिक देनदारियां				
क) अतिदेय	–		–	
ख) अन्य	2,10,316		2,26,559	
		2,10,316		2,26,559
4) अन्य चालू दायित्व				
क) प्रतिभूति जमा	8,85,515		8,61,215	
ख) केन्द्र सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान (4.4 (ख) एसीएच संदर्भ देखें)	5,87,40,400		2,41,95,307	
ग) देय वेतन एवं भत्ते घ) देय वेतन एवं भत्ते	7,42,798		7,67,701	
घ) अन्य देनदारियां	4,26,123		12,63,909	
		6,07,94,836		2,70,88,132
कुल (क)		6,20,61,467		3,45,99,667
ख. प्रावधान				
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान		65,16,687		70,55,646
कुल (ख)		65,16,687		70,55,646
कुल (क+ख)		6,85,78,154		4,16,55,313

लेखाकार सहायक निदेशक, वित्त उप महानिदेशक महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2016 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 4.4 (ख) केंद्रीय सरकार से अनुप्रयोजित अनुदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अतिशेष	2,41,95,307	82,36,630
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान (सामान्य एवं वेतन)	11,50,00,000	10,05,00,000
	13,91,95,307	10,87,36,630
घटाइए: केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का आय और व्यय लेखे में अंतरण	7,08,96,595	7,31,03,978
	6,82,98,712	3,56,32,652
घटाइए: अवक्षयणीय नियत परिसंपत्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित (आस्थगित आय का अंतरण)	95,58,312	1,14,37,345
उपयोग न किया गया अनुदान, जिसमें अग्रिम सम्मिलित है	5,87,40,400	2,41,95,307
कुल	**5,87,40,400**	**2,41,95,307**

लेखाकार सहायक निदेशक, वित्त उप महानिदेशक महानिदेशक

(8)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2016 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 – अचल परिसंपत्ति

(राशि रु. में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत पर योग	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
स्वयं की निधि से बाहर अधिग्रहीत अचल संपत्तियां										
1. भवन	28,65,530	-	-	28,65,530	18,38,230	51,365	-	18,89,595	9,75,935	10,27,300
2. फर्नीचर, फिक्चर्स	11,56,195	-	-	11,56,195	11,22,111	5,113	-	11,27,224	28,971	34,084
3. कार्यालय उपस्कर	51,097	-	-	51,097	49,634	220	-	49,854	1,243	1,463
4. पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	38,967	-	-	38,967	30,944	802	-	31,746	7,221	8,023
उप – जोड़ (क)	41,11,789	-	-	41,11,789	30,40,919	57,500	-	30,98,419	10,13,370	10,70,870
केंद्रीय सरकार के अनुदान से बाहर अर्जित नियत परिसंपत्तियां										
1. भवन	6,32,39,847	-	-	6,32,39,847	70,61,093	28,08,938	-	98,70,031	5,33,69,816	5,61,78,754
2. फर्नीचर, फिक्चर	3,97,61,413	19,03,721	-	4,16,65,134	1,68,94,087	35,93,215	-	2,04,87,302	2,11,77,832	2,28,67,326
3. कार्यालय उपस्कर	1,12,75,080	15,63,224	-	1,28,38,304	61,89,570	8,83,128	-	70,72,698	57,65,606	50,85,510
4. कंप्यूटर/उपसाधन	1,24,04,916	8,94,099	-	1,32,99,015	92,84,194	9,16,320	-	1,02,00,514	30,98,501	31,20,722
5. पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	2,98,34,613	29,95,548	1,42,182	3,26,87,979	99,37,696	21,87,674	7,109	1,21,18,261	2,05,69,718	1,98,96,917
6. पुस्तकालय आईटी अवसंरचना	1,31,93,985	-	-	1,31,93,985	99,33,919	8,15,017	-	1,07,48,936	24,45,049	32,60,066
7. विद्युत इंस्टालेशन	2,59,72,555	11,69,000	-	2,71,41,555	1,04,20,804	24,20,437	-	1,28,41,241	1,43,00,314	1,55,51,751
8. साइकिल एवं रिक्शा	7,000	-	-	7,000	3,620	507	-	4,127	2,873	3,380
9. जल आपूर्ति प्रणाली	10,12,815	-	-	10,12,815	1,81,937	41,544	-	2,23,481	7,89,334	8,30,878
उप – जोड़ (ख)	19,67,02,224	85,25,592	1,42,182	20,50,85,634	6,99,06,920	1,36,66,780	7,109	8,35,66,591	12,15,19,043	12,67,95,304
चालू वर्ष का योग (क+ख)	20,08,14,013	85,25,592	1,42,182	20,91,97,423	7,29,47,839	1,37,24,280	7,109	8,66,65,010	12,25,32,413	12,78,66,174
पिछला वर्ष	11,13,91,900	7,90,31,987	19,11,851	18,85,12,036	4,77,87,883	1,18,83,420	10,46,199	5,86,25,104	12,98,86,932	-
जारी पूंजीगत कार्य									89,70,227	79,37,507
कुल									13,15,02,640	13,58,03,681

लेखाकार सहायक निदेशक, वित्त उप महानिदेशक महानिदेशक

(8)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2016 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 6 -चालू परिसंपत्तियां ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू परिसंपत्तियां:				
1 फुटकर देनदार		-		-
2 कुल शेष राशि (चेक/ड्राफ्ट तथा अग्रदाय शामिल)		14,202		8,454
3 बैंक शेष				
अनुसूची बैंक साथ				
- चालू खाता (भारतीय स्टेट बैंक)	17,50,031.83		1,05,52,525.00	
- बचत खाता (भारतीय स्टेट बैंक)	2,07,50,156.50		79,49,957.00	
		2,25,00,188		1,85,02,482
कुल (क)		2,25,14,390		1,85,10,936
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां				
1 अग्रिम एवं अन्य वसूली योग्य नकद धनराशि अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य				
क) पूंजीगत लेखे पर- सीपीडब्ल्युडी		5,60,96,183		3,25,34,620
ख) पूर्व-भुगतान		20,92,588		19,96,356
ग) आयकर (टीडीएस) वसूली योग्य		73,690		73,690
घ) अन्य		24,68,564		20,31,658
कुल (ख)		6,07,31,025		3,66,36,324
कुल (क + ख)		8,32,45,415		5,51,47,260

लेखाकार सहायक निदेशक, वित्त उप महानिदेशक महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2016 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 7 सदस्यता फीस	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पुस्तकालय सदस्यता	57,898	38,042
कुल	57,898	38,042

अनुसूची 8 रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
रॉयल्टी	88,352	6,08,627
प्रकाशन की बिक्री	-	13,583
कुल	88,352	6,22,210

अनुसूची 9 अन्य आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) आस्थगित आय से अंतरित (देखिए अनुसूची 3)	1,38,01,853	1,42,61,498
ख) विविध आय	88,897	4,22,532
कुल	1,38,90,750	1,46,84,030

लेखाकार सहायक निदेशक, वित्त उप महानिदेशक महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2016 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 10 स्थापना व्यय		
क) वेतन और मजदूरियां	1,20,92,827	1,18,83,853
ख) बोनस	91,531	96,712
ग) कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि का अंशदान	9,22,856	9,76,458
घ) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	17,242
ङ.) प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार - आर.पी.एफ.सी.	14,375	14,870
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत लाभों (उपदान) पर किया जाने वाला व्यय	9,20,117	8,27,233
छ) चिकित्सा व्यय (निवल वसूली)	13,13,458	7,70,370
ज) कर्मचारी समूह बीमा	88,172	35,129
कुल	**1,54,43,336**	**1,46,21,867**

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 11 अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) लेखा फीस	1,76,915	2,90,060
ख) सीएससीएपी - सामान्य व्यय	1,312	-
ग) विज्ञापन खर्च	56,856	85,657
घ) विद्युत एवं जल	47,96,729	41,40,318
ङ.) सेमीनार/कार्यशाला पर व्यय	73,03,337	1,14,56,400
च) कार्यालय बीमा	69,325	34,158
छ) एनडीएमसी संपत्ति कर	31,94,738	41,34,695
ज) कार्यालय व्यय	7,84,923	8,01,432
झ) डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	9,34,705	8,55,052
ञ) मुद्रण और लेखन सामग्री	8,07,620	5,19,296
ट) वृत्तिक एवं अन्य मानव शक्ति प्रभार	2,18,45,250	1,85,12,934
ठ) रख-रखाव एवं मरम्मत	79,51,910	54,26,880
ड) सुरक्षा व्यय	12,61,924	10,30,359
ढ) यात्रा एवं वाहन व्यय	24,19,671	41,18,722
ण) अन्य व्यय	14,880	3,56,337
त) समाचारपत्र, पुस्तक और पत्रिकाएं	3,57,375	3,59,402
थ) ग्राहकी एवं सदस्यता शुल्क	1,61,699	5,51,135
द) वेबसाइट व्यय	1,09,356	3,40,608
ध) पूर्व अवधि व्यय	-	-
कुल	**5,22,48,525**	**5,30,13,445**

लेखाकार सहायक निदेशक, वित्त उप महानिदेशक महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 12 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. **लेखाकरण अभिसमय**

जब तक कि अन्यथा कथित न हो, लेखाओं की ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर और साधारणतया लेखाकार की प्रोद्भवन पद्धति पर तैयार किया गया है सिवाय सीएससीएपी अनुदान और उपयोग के संबंध में जोकि नकद आधार पर उपयोग किया जाता है।

2. **अचल संपत्तियां और मूल्यह्रास**

2.1 अचल परिसंपत्तियों का निर्धारण अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है, जिनके अंतर्गत अर्जन के संबंध में अनुषंगी और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित हैं।

2.2 नियत आस्तियों का मूल्यांकन लागत पर, उसमें से एकत्रित अवक्षयण को घटाकर किया गया है। नियत आस्तियों पर अवक्षयण, प्रबंधन द्वारा विनिश्चित किए गए, अनुसार समुचित दरों पर अपलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है:

भवन	5%
पुस्तकालय पुस्तकें और पत्रिकाएं	10%
फर्नीचर और फिक्स्चर	15%
कार्यालय उपस्कर	15%
कम्प्यूटर/उपसाधन	25%
विद्युत प्रतिष्ठान	15%
साइकिलें	15%
जल आपूर्ति प्रणाली	5%

रिपोर्ट के अधीन वर्ष के 1 अक्तूबर को या उसके पश्चात क्रय की गई आस्तियों का उपरोक्त कथित दरों से 50% का अवक्षयण कर लिया गया है।

3. <u>राजस्व मान्यता</u>

3.1 विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदानों/अभिदायों को प्रारंभ में दायित्व के रूप में माना गया है और उन्हें वर्ष के दौरान उपयोग के अनुसार पूंजी या राजस्व व्ययों के लिए समायोजित किया गया है।

3.2 अवक्षणीय आस्तियों के लिए उपयोग की गई सीमा तक अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और उसे प्रणालीबद्ध तथा सुसंगत आधार पर आय और व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

3.3 साधारणतया, राजस्व व्यय के लिए उपयोजित अनुदानों को वर्ष के दौरान आय माना गया है।

4. **<u>विदेशी मुद्रा में लेनदेन</u>**

लेन देन की तिथि को जारी विदेशी मुद्रा में वर्णित लेनदेन की गणना विदेश मंत्रालय के विनिमय की अधिकृत दर (ओआरई) पर की गई है।

5. **<u>सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ</u>**

भविष्य निधि में कर्मचारियों और नियोक्ता के अंशदान को ई पी एफ ओ को अंतरित किया जाता है।

उपदान के लिए प्रावधान की संगणना इस उपधारणा पर की जाती है कि उपदान सभी कर्मचारियों को लेखाकरण वर्ष की समाप्ति पर संदेय है। उपदान की ऐसी रकम को राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 17/05/2016

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	**सहायक निदेशक, वित्त**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 13 आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पण

1. आकस्मिक देनदारियां :

क. श्री एच.एस. चड्ढा, एसी संयंत्र प्रचालक नामक कर्मचारी की सेवाएं प्रबंधन द्वारा 01 अप्रैल, 1995 से 26 सितंबर, 2001 के दौरान समाप्त कर दी गई थीं। उन्होंने सेवा समाप्ति के विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया था और निचली अदालत ने आईसीडब्ल्यू को कर्मचारी को पिछली पूरी अवधि का पारिश्रमिक देने का निदेश देते हुए आदेश पारित किया। आई सी डब्ल्यू द्वारा निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किए जाने के कारण 2.00 लाख रुपए की देनदारी का भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आईसीडब्ल्यूए ने न्यायालय के पास 1,01,205/- रुपए जमा करा दिए हैं, जिन्हें तुलन पत्र में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

ख. आईसीडब्ल्यूए के विरुद्ध अन्य मामलों के संबंध में देनदारियां, यदि कोई हैं - शून्य

2. **पूंजी प्रतिबद्धताएं:** अग्रिम निवल - शून्य

3. विश्व मामलों की भारतीय परिषद एक ऐसी सोसाइटी है जो कि पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, विश्व मामलों की भारतीय परिषद को एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में 1943 में स्थापित किया गया था। विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय ने भारतीय विश्व कार्य संबंधी परिषद अध्यादेश, 2000 (2000 का 3) जारी किया था, जिसके द्वारा परिषद के प्रबंधन को भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। इस अध्यादेश को अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्या 29) के अधिनियम द्वारा और विनियमित किया गया था। वर्तमान में परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से मिलने वाले अनुदानों द्वारा वित्तपोषित है।

4. सीएससीएपी-भारत और विश्व में विविध सीएससीएपी की बैठक आयोजित करने के लिए परिषद विदेश मंत्रालय से सीएससीएपी अनुदान प्राप्त करती है। परिषद केवल अनुदान के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है अर्थात अनुदान को प्राप्त करना तथा उसका प्रत्येक अनुदान के लिए विशिष्ट मंजूरियों हेतु उसका उपयोग करना। परिषद का दृष्टिकोण है कि सीएससीएपी लेनदेन परिषद के अतिशेष / कमी से प्रभावित नहीं होगा और तदनुसार नकद आधारित लेखाविधि के लिए जिम्मेवार होगा।

5. जहां कही आवश्यक था, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुन: समूहबद्ध या पुन: व्यवस्थित किया गया है ताकि वह चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप हो सके।

6. अंतिम लेखों में अंकों को निकटतम पूर्ण रुपयों में लिखा गया है।

7. अचल परिसंपत्ति में पूर्ण विवरण दिए गए हैं, जिसमें सरकार द्वारा अधिकार में लिए जाने से पहले पूर्व प्रबंधन द्वारा सुरक्षित रखी गई सभी अचल परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरण एवं अवस्थिति शामिल है, उपलब्ध नहीं है। अभिलेखों और साथ ही भौतिक सत्यापन संबंधी किसी रिपोर्ट की अनुपस्थिति में, वर्तमान प्रबंधन नियत आस्तियों के संबंध में लेखा बहियों में किन्हीं विसंगतियों, यदि कोई हों, के संबंध में कार्यवाही नहीं कर सकता था।

8. उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्तमान प्रबंधन के पास लीज रेंट की कोई देनदारी नहीं है। यदि भूमि की लागत भवन की लागत का एक भाग है तो क्या प्रभारित मूल्यह्रास सामान्यतया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के विपरीत होगा।

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17/05/2016

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	**सहायक निदेशक, वित्त**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए विश्व मामलों की भारतीय परिषद के लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अंतिम पृथक रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2016 के अनुसार विश्व मामलों की भारतीय परिषद के संलग्न तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 जिसे विश्व मामलों की भारतीय परिषद (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा 20 (2) पढ़ा जाता है, की है। इन वित्तीय विवरणों की जवाबदेही विश्व मामलों की भारतीय परिषद की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय ब्यौरों पर विचारों की अभिव्यक्ति करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सिर्फ लेखा उपचार पर वर्गीकरण, बेहतर लेखा अभ्यास की संपुष्टि, लेखा मानक एवं प्रकटन मानक आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियम एवं विनियम (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा दक्षता सह प्रदर्शन पहलू आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण यदि कोई हो, तो उसे निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।

3. भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानक के अनुसार लेखापरीक्षा की गई है। इन मानकों को अपेक्षा होती कि हम जो लेखापरीक्षा करते हैं उनके वित्तीय विवरण में मटीरियल संबंधी मिथ्या विवरण न होने के संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त हों। लेखापरीक्षा में जांच आधार पर परीक्षण, वित्तीय विवरण में राशियों एवं प्रकटन की पुष्टि करने वाले साक्ष्य शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांत का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा वित्तीय विवरणों के सभी प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत को समुचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. जहां तक हमें पता है और विश्वास है हमने लेखापरीक्षा के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर ली हैं;

ii. इस रिपोर्ट के साथ पेश किए गए तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे के प्रारूप को लेखा, महानियंत्रक, विदेश मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है।

iii. पुस्तक का परीक्षण करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम, 2003 की धारा 20 (1) की आवश्यकतानुसार लेखा की समुचित पुस्तकें एवं अन्य प्रासंगिक रिकार्ड विश्व मामलों की भारतीय परिषद द्वारा तैयार की गई हैं।

iv. आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. तुलन पत्र

क.1 परिसंपत्तियां

क.1.1 अचल परिसंपत्तियां अनुसूची 5 (रु.13.15 करोड़)

5वीं अनुसूची के अनुसार परिषद ने अपनी निजी निधि से 41,11,789 रुपए धनराशि की "अचल संपत्ति" शीर्ष के अंतर्गत अधिगृहीत दर्शायी है। हालांकि, परिषद ने इन अचल संपत्तियों (फर्नीचर, फिक्सचर एवं कार्यालय उपस्कर) का कोई रिकार्ड तैयार नहीं किया है, जिसके अभाव में लेखापरीक्षा में इन आंकड़ों को सही सत्यापन योग्य नहीं पाया गया। इन परिसंपत्तियों में 11,56195 रुपए के फर्नीचर तथा फिक्सचर एवं 51097 रुपए के कार्यालय उपस्कर परिषद में उपलब्ध नहीं हैं। परिषद के पास इन परिसंपत्तियों का कोई अभिलेख भी उपलब्ध नहीं है। ये परिसंपत्तियां परिषद के पूर्व प्रबंधन की हैं और इन्हें अधिगृहीत खाते में दर्शाया जा रहा है। परिषद ने पहले ही नोट एकाउंट की परिसंपत्तियों में विसंगतियों के बारे में एक खुलासा किया था। जिसके फलस्वरूप 12,07,292 रुपए की परिसंपत्ति एवं संग्रह निधि का अतिरिक्त ब्यौरा था।

क. 2.1 अदावी देनदारियां

वर्तमान शीर्ष देनदानियों एवं प्रावधानों (अनुसूची 4) के अंतर्गत 3,74,775 रुपए की राशि को आडिटोरियम की सुरक्षा प्रतिभूति के रूप में दर्शाया गया है। यह राशि परिषद को आडिटोरियम को किराए पर देने के लिए सुरक्षा प्रतिभूति के रूप में प्राप्त हुई थी तथा यह धनराशि वर्ष 2002-2003 से परिषद के पास गैर दावे के रूप में जमा है। इसके अलावा, यह धनराशि किन व्यक्तियों/संगठनों से प्राप्त हुई, इसका भी विवरण लेखे में उपलब्ध नहीं है। चूंकि यह धनराशि बहुत दिनों से जमा है और भविष्य में भी इस धनराशि की दावेदारी की कोई संभावना नहीं है, इसलिए इस धनराशि को "लायबिलिटीज नो लॉंगर रिक्वायर्ड रिटेन बैक" के रूप में अन्य आय के रूप में जमा की जा सकती है।

सामान्य टिप्पणी

एएस-15 में उल्लेख के अनुसार परिषद ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान नहीं किया है।

ख. सहायता अनुदान

ख.1. विश्व मामलों की भारतीय परिषद को मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय सहायता अनुदान मिलता है। वर्ष 2015-16 के दौरान परिषद के पास 241.95 लाख

रुपए की खर्च न की गई प्रारंभिक जमा राशि थी तथा परिषद ने 1150.00 लाख रुपए का अनुदान गैर योजना के अंतर्गत प्राप्त किया था, जिसे मिलाकर कुल 1391.95 लाख रुपए हो गया। तथापि, इनमें से 804.55 लाख रुपए खर्च हुए थे तथा 587.40 लाख रुपए अप्रयुक्त राशि के रूप में शेष बची थी। इसके अतिरिक्त परिषद के पास निर्धारित निधि के अंतर्गत विदेश मंत्रालय की परियोजनाओं के लिए 4.69 लाख रुपए प्रारंभिक जमा राशि थी तथा वर्ष के दौरान 47.27 लाख रुपए अनुदान राशि के रूप में प्राप्त हुए, जिनमें से 34.20 लाख रुपए व्यय हुए एवं 14.66 लाख रुपए वापस किए जाने के पश्चात 3.10 लाख रुपए की राशि शेष थी। परिषद को विभिन्न स्रोतों से भी 2.35 लाख रुपए की प्राप्तियां हुईं।

vi. मेरी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण को लेखा नीतियों एवं एकाउंट नोट के साथ पढ़ लिया गया है, बशर्ते इस लेखापरीक्षा के अनुबंध-1 में उल्लिखित ऊपर उद्धृत महत्वपूर्ण विषय एवं अन्य विषयवस्तु भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों की समनुरूपता का सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हों।

क. जहां तक कि 31 मार्च, 2016 तक की विश्व मामलों की भारतीय परिषद के राज्य मामलों के तुलन पत्र का संबंध है, और

ख. जहां तक कि 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे के अधिशेष का संबंध है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एवं की ओर से

हस्ता./-

महानिदेशक, लेखापरीक्षा

केन्द्रीय व्यय

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28.10.2016

नोट: प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होगी, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

अनुबंध-I

विश्व मामलों की भारतीय परिषद की वर्ष 2015-16 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली :

प्रधान, मुख्य नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय द्वारा 2014-15 से 2015-16 की अवधि के लिए परिषद की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।

2. आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की प्रचुरता :

पर्यावरण नियंत्रण

- ड्यूटी की कोई पृथकता नहीं थी, क्योंकि बिल बनाने एवं नकद वितरण का कार्य एक ही कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था।
- निर्णय लेने के कार्य को सरल बनाने के लिए कोई प्रबंधन सूचना प्रणाली नहीं लगाई गई थी।

निगरानी

- लेखापरीक्षा की आपत्तियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावकारी नहीं थी, क्योंकि वर्ष 2009-11 (2), 2011-13 एवं 2014-15 (3) के 10 पैरे बकाया थे।

3. अचल आस्तियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली :

- परिषद ने अपने उत्तर में बताया है कि अचल आस्तियों का भौतिक सत्यापन निम्नानुसार किया गया है :

क्र.सं.	आस्ति पंजिका	भौतिक सत्यापन की तिथि
1.	कार्यालय उपकरण, फर्नीचर एवं फिक्सचर, भवन, इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन, साइकल एवं रिक्शा तथा जल आपूर्ति प्रणाली (केवल अनुदान से)	29.06.2016
2.	पुस्तकालय की किताबें एवं पत्रिकाएं	11.12.2012
3.	कंप्यूटर/पेरिफेरियल, पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना	24.06.2016

4. वस्तु सूची की भौतिक सत्यापन प्रणाली

परिषद ने अपने उत्तर में बताया है कि मदों की सूची का भौतिक सत्यापन निम्नानुसार किया गया है :

क्र.सं.	स्टॉक/सूची पंजिका	भौतिक सत्यापन की तिथि
1.	सफाई सामग्री एवं अनुरक्षण/अनुभाग उपभोज्य	16.05.2016
2.	आई टी उपभोज्य एवं अन्य संबंधित सामग्री	24.06.2016
3.	लेखन सामग्री	30.06.2016

5. सांविधिक देनदानियों के भुगतान में नियमितता

31.03.2016 तक की अतिदेय सांविधिक देनदारियों का परिषद द्वारा चालू वर्ष में भुगतान कर दिया गया है।

हस्ता./-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (ई ए)

20

20